Crackdown Against Wanted Criminals

कार्यालय पुलिस अधीक्षक, जनपद चन्दौली
प्रेस विज्ञप्ति दिनाँक 20.08.2026

□थाना सैयदराजा व थाना मुगलसराय पुलिस टीम द्वारा 01-01 अभियुक्त, जो क्रमशः 25,000 रू0 व 50,000 रूपये के वांछित इनामिया थे, को किया गया गिरफ्तार।

□थाना मुगलसराय पुलिस टीम द्वारा सर्विलास टीम की मदद से 11 वर्षों से फरार चल रहे वांछित 50,000 रूपये के इनामिया हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध पंजीकृत है कुल 09 अभियोग।

□स्वाट/सर्विलांस पुलिस टीम व थाना सैयदराजा पुलिस टीम द्वारा गोवध के अभियोग में वांछित 25,000 इनामिया अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

□जनपद चन्दौली पुलिस द्वारा वर्ष 2026 के दौरान कुल 63 इनामिया वांछित अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।

थाना मुगलसराय-

पूर्व की घटना-
दिनांक 16/01/2015 को वादी मुकदमा श्री पवन कुमार भारूका पुत्र स्व० काशी लाल भारूका, निवासी मैनाताली (नगर पालिका के पीछे), थाना मुगलसराय, जनपद चन्दौली द्वारा थाना मुगलसराय पर सूचना दी गई कि उनका पुत्र पीयूष भारूका (उम्र लगभग 24 वर्ष) दिनांक 13/01/2015 को प्रातः 07:00 बजे घर से निकला था। उसकी स्कूटी केन्द्रीय विद्यालय मानसनगर के गेट के पास चाभी लगी अवस्था में लावारिस पाई गई। दिनांक 16/01/2015 को वादी के मोबाइल पर अपहृत पुत्र के मोबाइल नंबर (9651045551) से फिरौती हेतु कॉल आई, जिसमें पुत्र को सुरक्षित पाने के बदले धन की मांग की गई तथा जान से मारने की धमकी दी गई। सूचना के आधार पर थाना मुगलसराय पर मु०अ०सं० 0043/2015, धारा 364-A व 506 भा०दं०वि० पंजीकृत किया गया।

उक्त अपहरण एवं फिरौती की घटना को गम्भीरता से लेते हुए उच्चाधिकारीगण के कुशल निर्देशन में गठित पुलिस टीम व विवेचक द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए तकनीकी साक्ष्यों व मुखबिर की सूचना पर सघन चेकिंग चलाकर घटना में संलिप्त 05 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। अपहृत पीयूष भारूका को सकुशल बरामद करते हुए गिरफ्तार अभियुक्तों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर जेल भेजा गया। प्रकरण में विवेचना पूर्ण कर माननीय न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र (Charge Sheet No. 199/2015 व 199A/2016) प्रेषित किया जा चुका है।

गिरफ्तारी विवरण-

उच्चाधिकारीगण के कुशल निर्देशन में थानाध्यक्ष मुगलसराय विजय प्रताप सिंह के कुशल नेतृत्व में सर्विलांस पुलिस टीम की मदद से थाना मुगलसराय पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर दिनाँक 19.082026 को थाना मुगलसराय जनपद चंदौली का मु. अ. स. 43/2015 धारा 364A/ 506 आईपीसी से सम्बन्धित वांछित 50,000 रू0 के इनामिया अभियुक्त दिलीप कुमार कुशवाहा पुत्र नागेंद्र सिंह नि. ग्राम बनखारा थाना राजापाक़र जनपद वैशाली बिहार को दानापुर पटना बिहार से दिनांक 19/08/2026 को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के आधार पर थाना स्थानीय पुलिस द्वारा अन्य आवश्यक अग्रिम विधिक कर्यवाही अमल मे लाई जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-
दिलीप कुमार कुशवाहा पुत्र नागेंद्र सिंह नि. ग्राम बनखारा थाना राजापाक़र जनपद वैशाली बिहार

पूर्व में गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-
1. तंजीम पुत्र अनीस, निवासी: 444, नई बस्ती महमूदपुर, थाना मुगलसराय, जनपद चन्दौली (उ०प्र०)
2. कमर रजा पुत्र रईस, निवासी: लोहरा महमूदपुर, थाना मुगलसराय, जनपद चन्दौली (उ०प्र०)
3. रेनू सिंह पत्नी दिलीप कुशवाहा, निवासी: बनखडा, जिला वैशाली (बिहार)
4. प्रमोद कुमार कुशवाहा पुत्र जुखुम सिंह, निवासी: सेन्दुवारी, थाना जनदाहा, जिला वैशाली (बिहार)

दिलीप कुमार कुशवाहा उर्फ छोटू पुत्र नागेन्द्र सिंह निवासी ग्राम बनखडा थाना राजापाकड़ जनपद वैशाली बिहार उम्र करीब 51 वर्ष ।
अपराधिक इतिहास-
1. मु0अ0सं0-43/2015 धारा-364A/506/120B/34 भादवि थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली।
2. मु0अ0सं0- 226/05 धारा 364(a)/367/120(b) IPC थाना सदर जनपद वैशाली बिहार
3. मु0अ0सं0- 230/06 धारा 364(a)/216/120(b) IPC थाना हाजीपुर जनपद हाजीपुर बिहार
4. मु0अ0सं0- 119/05 धारा 364(a) IPC थाना लालपुर जनपद रांची झारखण्ड
5. मु0अ0सं0- 62/06 धारा 364(a)/34 IPC थाना लहेरी जनपद नालन्दा बिहार
6. मु0अ0सं0- 118/07 धारा 364(a)/34 IPC थाना चांडिल झारखण्ड
7. मु0अ0सं0- 148/07 धारा 147/148/149/307/353 IPC व 25(a)/26 आर्म्स एक्ट थाना कंकरबाग जनपद पटना बिहार
8. मु0अ0सं0- 606/10 धारा 224/225/323/353/34 IPC थाना नगर जनपद हाजीपुर बिहार
9. मु0अ0सं0- 102/12 धारा 364(a)/34 IPC थाना सुल्तानगंज जनपद पटना बिहार

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-
उ0नि0 विजय प्रताप सिंह थानाध्यक्ष मुगलसराय जनपद चन्दौली।
उ0नि0 आशीष मिश्रा प्रभारी सर्विलांस जनपद चन्दौली।
उ0नि0 अजय कुमार चौकी प्रभारी जलीलपुर थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली।
उ0नि0 बांकेलाल थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली।

का0 अभिषेक दूबे थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली।
का0 राकेश यादव थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली।

थाना सैयदराजा-

पूर्व की घटना-
दिनांक 24.05.2025 को थाना सैयदराजा पुलिस द्वारा जमानिया तिराहे के पास एनएच-2 हाईवे पर चेकिंग के दौरान दो टाटा मैजिक वाहनों (वाहन सं. UP 67 AT 6693 एवं UP 50 ET 5443) से कुल 03 राशि गोवंशों को क्रूरतापूर्वक लादकर वध हेतु ले जाते समय बरामद किया गया था। मौके से दो अभियुक्तों (हर्ष सिंह व आशुतोष कुमार) को गिरफ्तार किया गया था। विवेचना के दौरान प्रकाश में आया कि उक्त गोतस्करी की घटना में मनीष यादव पुत्र रामदुलार/दुलारे यादव (निवासी ग्राम सराय, थाना बलुआ, जनपद चन्दौली) की मुख्य भूमिका थी, जो घटना के बाद से लगातार फरार चल रहा था। इस संबंध में थाना सैयदराजा पर मु०अ०सं० 126/2025, धारा 3/5A/5B/8 उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम एवं 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम पंजीकृत किया गया था। वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 25,000 रूपयें का इनाम घोषित किया गया था।

गिरफ्तारी विवरण-
उच्चाधिकारीगण के कुशल निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक स्वाट टीम राम जनम यादव व थानाध्यक्ष सैयदराजा अशोक कुमार मिश्र के कुशल नेतृत्व में स्वाट पुलिस टीम व थाना सैयदराजा पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सटीक सूचना पर दिनाँक 19.08.2026 को घेराबंदी कर थाना सैयदराजा के मु०अ०सं० 126/2025 गोवध निवारण अधिनियम में वांछित ₹25,000/- के इनामी अभियुक्त मनीष यादव को चुनार क्षेत्र (सक्तेशगढ़ मार्ग तिराहा) से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के आधार पर थाना सैयदराजा पुलिस टीम द्वारा अन्य आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-
मनीष यादव पिता का नाम: रामदुलार यादव / दुलारे यादव पता: ग्राम सराय, थाना बलुआ, जनपद चन्दौली (उत्तर प्रदेश)।

अपराधिक इतिहास-
मु०अ०सं० 126/2025 — धारा 3/5A/5B/8 उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम एवं धारा 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, थाना सैयदराजा, जनपद चन्दौली (₹25,000/- का इनामी)।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-
स्वाट व सर्विलांस पुलिस टीम-
1.नि. राम जन्म यादव (प्रभारी स्वाट)
2.उ0नि0 आशीष मिश्रा प्रभारी सर्विलांस मय टीम

3.मु.आ. अरविंद भारद्वाज
4.मु.आ. राणा प्रताप सिंह
5.मु.आ. दीपक मिश्रा
6.मु.आ. रामानंद यादव
7.मु.आ. आशुतोष सिंह
8.मु.आ. सतीश सिंह
9.आ. अमित सिंह
10.आ. महेश यादव

थाना सैयदराजा-
उ0नि0 अशोक कुमार मिश्रा थानाध्यक्ष सैयदराजा जनपद चन्दौली।
उ०नि० धर्मदेव प्रसाद थाना सैयदराजा, जनपद चन्दौली
हे०का० गया प्रसाद थाना सैयदराजा, जनपद चन्दौली
का० संजय यादव थाना सैयदराजा, जनपद चन्दौली।